राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

माननीय उपाध्यक्ष कार्यालय

फाइल संख्या - . NCBC/07/09/56/2019

सुनवाई की तिथि – 22.11.2019

***

श्रीमति निधि यादव (प्रांतीय सिविल सेवा), महाप्रबंधक, उत्तराखंड परिवहन निगम, देहरादून निवासी 1, राज विहार, चकराता रोड, देहरादून 248001 के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066 में दिनांक 22.11.2019. समय 11:00 बजे सुनवाई नियत की गयी |

उक्त सम्बन्ध में आयोग द्वारा श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन को आयोग के समक्ष सुनवाई हेतु अपेक्षित किया गया | अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति से अवमुक्त के अनुरोध के साथ प्रकरण में श्री श्याम सिंह, संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखंड शासन को पक्ष रखने हेतु नामित किया गया एवं श्री श्याम सिंह, संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखंड शासन श्री गोविन्द सिंह, समीक्षा अधिकारी (Review Officer) के साथ उपस्थित हुए | श्रीमति निधि यादव का पक्ष रखने के लिए श्रीमति निधि यादव स्वयं अपने अधिवक्ताओं के साथ उपस्थित हुई |

पक्षगण :-

1. श्रीमति निधि यादव
2. अधिवक्ता श्री तेजस पटेल
3. अधिवक्ता सुश्री रुखसार खान

विपक्षीगण

1. श्री श्याम सिंह, संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखंड शासन
2. श्री गोविन्द सिंह, समीक्षा अधिकारी (Review Officer)

संलग्न :-

1. श्रीमति निधि यादव द्वारा प्रेषित विवरण सहित शिकायत पत्र |
2. श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा प्रेषित पत्रावली |

सुनवाई / जाँच का विवरण :-

आवेदक श्रीमति निधि यादव द्वारा लगाये गए आरोप:-

उपरोक्त विषयक श्रीमति निधि यादव यादव (प्रांतीय सिविल सेवा), महाप्रबंधक, उत्तराखंड परिवहन निगम, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि वह पिछले 14 वर्षो से उत्तराखंड सरकार में प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) के रूप में कार्यरत है | श्रीमती निधि यादव अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अधिकारी है | नियुक्ति के समय से श्रीमती निधि यादव अपना कार्य निष्ठा व लगन के साथ कर रही है तथा ACRs रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है |

श्रीमति निधि यादव द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखंड सरकार के प्रांतीय सिविल सेवा नियम के नियम 18 के अनुसार निर्धारित विशेष ग्रेड के लाभ से निर्दयता से वंचित कर, तुच्छ कार्यवाही स्थापित कर बहाने से आज तक श्रीमती निधि यादव के पक्ष में जारी नहीं किया गया | इसी प्रकार, कानूनी निहितार्थ श्रीमती निधि यादव की सेवाओं की पुष्टि की जाती है हालांकि, राज्य सरकार द्वारा श्रीमती निधि यादव को कोई संपर्क नहीं किया गया | इसके अलावा, श्रीमती निधि यादव को तबादलों के माध्यम से उत्पीडन किया रहा है तथा उत्तराखंड राज्य के अधिकारियो द्वारा अनावश्यक उत्पीडन व मनमाना व्यवहार किया जा रहा है | श्रीमती निधि यादव द्वारा प्रतिदिन के उत्पीड़न, जाति-आधारित भेदभाव और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के लिए प्रासंगिक तथ्य और परिस्थितियों का विवरण प्रस्तुत करते हुए आरोप अंकित किये गए |

उक्त क्रम में श्रीमती निधि यादव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि तुच्छ शिकायते दर्ज कर, आवेदक की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया | जिनमे उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला | विभागीय जाँच में पूर्ण दोषमुक्त होने के बावजूद भी, आवेदक श्रीमती निधि यादव को विशेष ग्रेड के लाभों से किसी बहाने से या तुच्छ कार्यवाही स्थापित कर किसी अन्य तरीके से उत्तराखंड राज्य के प्रांतीय सिविल सेवा नियमों के नियम 18 में निर्धारित सेवाओं की पुष्टि के संबंध में नियम 25 और 26 का उल्लंघन कर निर्दयता से वंचित कर दिया जाता रहा है | उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 05.08.2014 जो शासनादेश 2001, शासनादेश 2013 के साथ पढ़े से अच्छादित है, सेवा के सफलता से पूर्ण होने के बावजूद, आवेदक श्रीमती निधि यादव के पक्ष में स्थायीकरण (पुष्टि) आदेश जारी नहीं किया गया | इसके अलावा, ग्रेड वेतन जारी करने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया । श्रीमती निधि यादव का अक्सर तबादलों के माध्यम से उत्पीड़न जा रहा है तथा स्थानांतरण आदेशों में अतिरिक्त साधारण नोट्स उत्कृष्ट रूप से जोड़े गए, जो कि उत्तराखंड राज्य के शासनादेश के विपरीत है।

श्रीमती निधि यादव के अनुसार उनका मामला वर्तमान में उत्पीड़न, जाति-आधारित भेदभाव और प्रत्येक चरण में दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का एक उत्कृष्ठ उदाहरण है | श्रीमति निधि यादव द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर अपना विस्तृत वर्णन / स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया | -

क. दुर्भावनापूर्ण और मनमानी कार्रवाई कर चयनात्मक भेदभाव के लिए स्थायीकरण (पुष्टि) के आदेशों को पारित नहीं करना |

ख. दुर्भावनापूर्ण और मनमानी कार्रवाई कर चयनात्मक भेदभाव के लिए विशेष ग्रेड वेतन के आदेशों को पारित नहीं करना |

ग. अवैध रूप से नौ साल बाद विभागीय जांच के आदेश |

घ. श्रीमती निधि यादव के विभागीय जाँच में दोषमुक्त आने के तुरंत बाद, अवैध रूप से एक गुमनाम पत्र के आधार पर सतर्कता जांच के आदेश दिए गए, हालांकि उक्त गुमनाम पत्र उत्तराखंड सरकार के पास पिछले एक साल से पड़ा हुआ था |

ङ. अवैध रूप से बार-बार स्थानांतरण का आदेश देना और निधि यादव के स्थानांतरण आदेशों में विशेष रूप से अतिरिक्त साधारण टिप्पणी जोड़ना यद्यपि एक ही समय में निधि यादव का ACRs उत्कृष्ठ और त्रुटिहीन है |

च. उत्तराखंड राज्य में पहली ओबीसी महिला अधिकारी के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव में, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, (2008) 6 SCC 1 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय अथवा उत्तराखण्ड राज्य के कानून के नियम का उल्लंघन का है ।

छ. भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत उत्तराखंड राज्य की कार्रवाई में व्यापक उल्लंघन हो रहा है।

ज. उत्तराखंड राज्य के कुछ अधिकारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत S.124(a), S.177, S.189, S.196, S.505, S.507 r/w S120B धाराओं में उत्तरदायी है |

झ. श्रीमती निधि यादव का लगातार उत्पीड़न और वैधानिक सेवा नियमों का उल्लंघन भारत के संविधान के नियम का उल्लंघन है |

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीमती निधि यादव द्वारा जाति व स्थायी निवास सम्बन्धी निम्नलिखित क्रम सूची भी स्पष्टीकरण हेतु संलग्न की गयी |

1. श्रीमती निधि यादव का जन्म प्रमाण पत्र |
2. अन्य राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रवासियों को अन्य पिछड़ा वर्ग-प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में भारत सरकार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी शासनादेश |
3. श्रीमती निधि यादव का तहसीलदार द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र |
4. नोट: प्रवासित (migrated) पिछड़े वर्गों पर स्पष्टीकरण |
5. नोट: प्रवासित (migrated) पिछड़े वर्गों पर स्पष्टीकरण |
6. सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी प्रवासित (migrated) पिछड़े वर्गों पर स्पष्टीकरण शासनादेश |
7. श्रीमती निधि यादव का निवास प्रमाण पत्र |
8. श्रीमती निधि यादव का अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र |
9. संवीक्षा समिति (Scrutiny Committee) की रिपोर्ट |

10. श्रीमती निधि यादव का कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर |
11. अभिमत : महाधिवक्ता (Opinion : Advocate General)
12. माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय का जजमेंट (SJ) (पैरा 75) अजय कुमार बनाम उत्तराखंड |
13. उत्तराखंड सरकार का अन्य पिछड़ा वर्ग के सन्दर्भ में शासनादेश |
14. माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय का जजमेंट (DB) त्रिवेन्द्र बनाम उत्तराखंड |
15. श्रीमती निधि यादव के अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर नोट व टिप्पणी |

उक्त प्रकरण में श्रीमती निधि यादव द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री के जारी आदेश दिनांक 05.08.2014 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभ सम्बन्धी मुद्दा समाप्त कर दिया गया | जिसका पालन नहीं किया गया | अपील संख्या 296 निस्तारित हो गयी उसके बाद भी उक्त वाद को जारी रखा गया | दिनांक 18.04.2016 को 9 वर्ष पश्चात बिना तथ्य व आधार के एक झूंठी जाँच अमल में लायी गयी तथा ऐसा इसलिए किया गया क्योकि दूसरी डीपीसी होनी थी | दूसरी डीपीसी के दौरान तीन सदस्यीय चयन समिति में श्री शत्रुघन सिंह, अध्यक्ष, श्री एस. रामास्वामी, सदस्य एवं श्रीमती राधा रतूड़ी जी सदस्य नामित किये गए | श्रीमती निधि यादव के विरुद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में शासन के आदेश संख्या 206, दिनांक 21.05.2018 (पताका –घ) द्वारा आरोप पत्र को निरस्त करते हुए प्रश्नगत जाँच को समाप्त कर दिया गया | जिसके सम्बन्ध में बंद लिफाफे को (पताका X) को अपर मुख्य सचिव द्वारा खोलकर रक्षित संस्तुति के अनुसार अग्रतर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसको आज तक वार्ता के नाम पर अटका रखा है तथा उक्त के सम्बन्ध में 31.07.2018 से अब तक कोई वार्ता नही हुई है | महामहिम राज्यपाल द्वारा जाँच को निक्षेपित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गयी | इन सबके बावजूद उक्त प्रकरण में 20 मई, 2019 को एक समिति जाँच हेतु फिर गठित कर दी गयी |

<u>श्री श्याम सिंह, संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखंड शासन व श्री गोविन्द सिंह, समीक्षा अधिकारी (Review Officer) द्वारा :-</u>

उक्त प्रकरण में माननीय आयोग द्वारा अपेक्षित किया गया कि ***"उक्त प्रकरण में 31.07.2018 से अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार क्या वार्ता हुई ?"*** जिसके सापेक्ष अवगत कराया गया कि ***"वार्ता अधिकारियो के बीच हुई, हमें नहीं जानकारी क्या हुई|"***

उक्त क्रम में माननीय आयोग द्वारा अपेक्षित किया गया कि ***"उक्त प्रकरण में वर्तमान स्थिति क्या है ?"*** जिसके सापेक्ष अवगत कराया गया कि ***"राज्य पिछड़ा वर्ग को पत्र लिख दिया गया है |"*** आयोग द्वारा उक्त क्रम में अपेक्षित किया गया कि ***"क्या आपके राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो चुका है?"*** जिसके सापेक्ष

अवगत कराया गया कि ***"इसकी हमे जानकारी नहीं है।"*** आयोग द्वारा अवगत करते हुए अपेक्षित किया गया कि ***"जब आपको जानकारी ही नहीं आयोग का गठन हुआ कि नहीं आपके द्वारा उन्हें पत्र किस आधार पर और किस लिए लिखा गया ? जैसा की ज्ञात है उत्तराखंड राज्य में आयोग का गठन नही हुआ है तथा आयोग में सचिव आयोग नहीं होता फिर किस आधार पर और क्यों पत्र लिखा गया ?"*** जिसके सापेक्ष श्री श्याम सिंह, संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखंड शासन व श्री गोविन्द सिंह, समीक्षा अधिकारी (Review Officer) द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।

उक्त क्रम में माननीय आयोग द्वारा अपेक्षित किया गया कि ***"प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा जांचोपरांत जारी किया गया, पूर्व में गठित समिति की रिपोर्ट के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के पश्चात तथा महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रकरण के निक्षेप किये जाने के उपरांत भी जाँच से संतुष्ट न होकर जारी रखना, ऐसा क्यों ?*** जिसके सापेक्ष श्री श्याम सिंह, संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखंड शासन व श्री गोविन्द सिंह, समीक्षा अधिकारी (Review Officer) द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।

उक्त क्रम में माननीय आयोग द्वारा अपेक्षित किया गया कि ***"क्या आपके द्वारा जो पत्रावली प्रस्तुत की गयी से सम्बंधित जानकारी नहीं है ?"*** जिसके सापेक्ष श्री श्याम सिंह, संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखंड शासन व श्री गोविन्द सिंह, समीक्षा अधिकारी (Review Officer) द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।

<u>तथ्य एवं निष्कर्ष:-</u>

उक्त प्रकरण में प्राप्त अभिलेखों के अवलोकन एवं परीक्षणोंपरांत आयोग को यह प्रतीत होता है कि प्रकरण के निस्तारण में निम्नलिखित प्रश्नों का मय-अभिलेख स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित होगा।

1. श्रीमती निधि यादव द्वारा किस नियम का उल्लंघन किया गया ?
2. श्रीमती निधि यादव द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो की प्रमाणिकता क्या है ? इनकी वैधानिकता को किन तथ्यों एवं साक्ष्यो के आधार पर प्रश्नचिन्हित किया गया ?
3. विशेष अपील संख्या 296/2012 त्रिवेन्द्र सिंह पंवार बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तराखंड एवं अन्य के निस्तारण के पश्चात, उक्त वाद को जारी रखने के मुख्य आधार क्या है ?
4. नियुक्ति के 9 (नौ) वर्ष पश्चात किन तथ्यों के आधार पर विभागीय जांच 3-3 बार प्रचालित की गयी ?
5. तीन सदस्यीय चयन समिति में श्री शत्रुघन सिंह, अध्यक्ष, श्री एस. रामास्वामी, सदस्य एवं श्रीमती राधा रतूड़ी जी सदस्य नामित किये गए, जिसमे आरोप पत्र को निरस्त करते हुए प्रश्नगत जाँच को समाप्त कर दिया गया था। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ? यदि यह लंबित है तो क्या कारण है ?
6. माननीय मुख्यमंत्री के जारी आदेश दिनांक 05.08.2014 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभ सम्बन्धी मुद्दा समाप्त कर दिया गया। इस आदेश की वैधानिक एवं वर्तमान स्थिति क्या है ? इसको क्यों लागु नहीं किया जा सका ? स्पष्टीकरण दे।

7. महामहिम राज्यपाल द्वारा जाँच को निक्षेपित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गयी | इस आदेश की वैधानिक एवं वर्तमान स्थिति क्या है ? इसको क्यों लागु नहीं जा सका ? स्पष्टीकरण दे |
8. तत्कालीन महाधिवक्ता श्री एल.पी. नैथानी जी के अभिमत जो श्रीमती निधि यादव के पक्ष में आया | उक्त अभिमत की वैधानिक एवं वर्तमान स्थिति क्या है ? इसको क्यों लागु नहीं किया जा सका ? स्पष्टीकरण दे |
9. उक्त प्रकरण में दिनांक 20 मई 2019 को एक जाँच समिति फिर गठित कर दी गयी | पूर्व जाँच समिति की रिपोर्ट, महामहिम के आदेश व माननीय मुख्यमंत्री के आदेश श्रीमती निधि यादव के पक्ष में आने के पश्चात जाँच समिति के गठन की वैधानिक स्थिति क्या है एवं जाँच समिति गठित करने का आधार क्या था ? साक्ष्यो सहित स्पष्टीकरण दे |
10. माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखंड की प्रस्तुत नजीर/ व्यवस्था /निर्णयों की उक्त प्रकरण में वैधानिक स्थिति क्या है ? इसको क्यों लागु नहीं किया जा सका ? स्पष्टीकरण दे |
11. जाति प्रमाण पात्रता निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश 2013 एवं स्थायी निवास पात्रता निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश 2001 की उक्त प्रकरण में क्या वास्तविक स्थिति है एवं उक्त शासनादेशो को उक्त प्रकरण में क्यों नहीं लागु किया जा सका ?
12. प्रांतीय सिविल सेवा के नियम के अनुसार सेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने पर Special Senior Scale में आना था | क्यों लागु नहीं किया जा सका ?
13. उक्त प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यो को निराधार व बेबुनियाद मानते हुए उक्त कार्यवाही को निरंतर जारी रखना, किस प्रकार भेदभाव व उत्पीडन से प्रेरित कार्यवाही नहीं मानते ?
14. उक्त प्रकरण में जाँच प्रचलित होने के पश्चात के सभी स्थानांतरण सम्बन्धी सूची प्रदान करे |
15. श्रीमती निधि यादव का पक्ष सुनने व समस्त दस्तावेजो के अवलोकन व परीक्षणोंपरांत तत्कालीन जिलाधिकारी श्री आनंद वर्धन के द्वारा दिनांक 11/06/2008 में उत्तराखंड के निवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए आहर्ता पूर्ण रूप से पाई गयी | आयोग के समक्ष उक्त तथ्य क्यों छुपाया गया | स्पष्टीकरण दें |
16. यह कि विजिलेंस जाँच के सम्बन्ध में यह भी सामने आया है कि अनिल भरद्वाज नाम का व्यक्ति न तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता है और न ही उक्त निवास पर निवास करता है तथा शासन को दिया गया पत्र भी झूंठा है | क्या आपके द्वारा शपथ पत्र का सत्यापन कराया गया ?

सुनवाई के दौरान उत्तर न दिए जाने पर ज्ञात होता है कि उपस्थित पदाधिकारी प्रकरण के सम्बन्ध में पक्ष रखने में अक्षम है | उक्त प्रकरण में श्रीमती राधा रतूड़ी की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए, उक्त प्रकरण के

निस्तारण में आयोग द्वारा आपेक्षित स्पष्ट एवं साक्ष्यो सहित बिन्दुवार आख्या 15 कार्यदिवसों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

(डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति)
माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(जे. रविशंकर)
अवर सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(संदीप कुमार)
निजी सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग